Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास की घटना कारित करने के आरोपी हरीश उर्फ बिट्टू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 01 माह का कठोर कारावास व 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त हरीश उर्फ बिट्टू पुत्र केशव निवासीगण ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में पुलिस पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 379/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 378/20 धारा 307 (पुलिस मुठभेड़) भादवि पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 30.10.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त हरीश उर्फ बिट्टू को धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अशोक सैनी एडीजीसी



उ0नि0 श्री मुनेशपाल सिंह तत्कालीन थानाध्यक्षचांदीनग र



नि0 श्री पप्पू सिंह ठेनुआ प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



हे0का0 रमेश चन्द कोर्ट पैराकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा

दिनांक 30-10-2026

थाना खेकडा पुलिस ने 01 चोर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 382/26 धारा 331(3),305(a) बीएनएस में नामित अभियुक्त बादल पुत्र मनोज नि0 ग्राम घिटौरा थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी के किये हुए एक जोडी पायल (सफेद धातु), एक अंगूठी (सफेद धातु), 02 जोडी चुटकी (सफेद धातु), एक जोडी कान के टॉप्स (सफेद धातु), एक आधार कार्ड पायल, 06 हजार रुपये नगद बरामद हुए है।



baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना छपरौली

दिनांक 30-10-2026

थाना छपरौली पुलिस ने 01 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।

जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सहजाद पुत्र उमरदीन निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 350 किलोग्राम बरामद हुए हैं।



baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना खेकड़ा

दिनांक 30-10-2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।

जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मुर्शीद पुत्र लियाकत निवासी संगठेरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 21 क्विंटल बरामद हुए हैं।



baghpatpolice

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत दिनाँक 30.10.2026

साइबर सैल बागपत द्वारा पैम्फलेट/पोस्टर लगाकर फर्जी लोन देने के नाम पर आम जनता से साइबर धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्राज्यीय "पोस्टर गैंग" का भंडाफोड़, 04 शातिर अभियुक्त व 02 महिला अभियुक्ताओं सहित कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 01 अर्टिगा कार, 01 वैगनआर कार, 22 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 03 लैपटॉप, 07 बैंक पासबुक, 10 एटीएम कार्ड, 09 चैक बुक, 04 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 08 स्टैम्प मोहरे, भारी मात्रा में फर्जी लोन देने के पैम्पलेट (लगभग 18,000) व 20,200 रुपये नगद बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सस्ती दर पर लॉन दिलाने के नाम पर वादी के साथ व अन्य आम-जनमानस के साथ फ्रॉड करके रूपये की ठगी करी गयी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- 56/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की जाँच में पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर पैम्पलेट/पोस्टर चिपकाकर "दिवाली ऑफर के तहत आधार और पैन कार्ड पर कम ब्याज पर 01 lakh से 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लॉन उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों से साइबर फ्रॉड किया जा रहा था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/2026 धारा 318(4)/111(2)(b) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट के अन्वेषण हेतु गठित साइबर सेल की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर नैथला मोड़ के पास से दो गाड़ियों (अर्टिगा और वैगनआर) की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से दबिश देकर मौके से फर्जी लॉन गिरोह के 04 शातिर

अभियुक्तों और 02 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त गाड़ियाँ, भारी मात्रा में पैम्पलेट, मोबाइल, सिम व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण/अपराध करने का तरीका-

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वह फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर आकर्षक लॉन के पैम्पलेट छपवाते थे। बड़ौत और अन्य कस्बों में पैम्पलेट चिपकाकर लॉन चाहने वाले सीधे-साधे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे तथा फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर विभिन्न फर्जी बैंक खातों में ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर करवाकर ठगी करते थे। ठगी करने के बाद ये लोग अपने मोबाइल नंबर व फोन बदल देते थे। गिरफ्तारी के समय यह पूरा गैंग जनपद बिजनौर में अपना नया ऑफिस खोलने, पोस्टर लगाने के लिए जा रहा था ताकि वहां भी नए सिरे से बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा सके।

नोट - एनसीआरपी पोर्टल पर अभियुक्तों के विरुद्ध वर्तमान में 07 साइबर फ्रोड की शिकायतें दर्ज है।

1. Ack no - 33108260214591, Mansoorpur, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 19112
2. Ack no - 23108260153213, Mansoorpur, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 7350
3. Ack no - 23108260155485, Mansoorpur, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 14400
4. Ack no - 33104260087509, Shahpur, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 57600
5. Ack no - 33108260192188, Jansath, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 14600
6. Ack no - 33108260192289, Shahpur, Muzaffarnagar फ्रोड धनराशि- 14600
7. Ack no - 33110260304407, lohari, Baghpat फ्रोड धनराशि- 10000

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.लोकेश उर्फ गुड्डू पुत्र नरेश निवासी ग्राम मौजीजाबाद नांगल, थाना दोघट, जनपद बागपत (हाल निवासी- अंसल ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद)।

2. रवि पुत्र सुरेन्द्र निवासी नंगली पट्टी बरबाला, थाना रमाला, जनपद बागपत (बाएं पैर से विकलांग)।

3. अजीत कश्यप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी रोहटा रोड खटिकपुरा, थाना कंकड़खेड़ा, जनपद मेरठ।

4. अमित पुत्र अंग्रेज निवासी ग्राम मौजीजाबाद नांगल, थाना दोघट, जनपद बागपत।

5. एक महिला।

6. एक महिला।

बरामदगी का विवरण:-

जिनके कब्जे से अपराध व साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त/अर्जित संपंत्ती से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ:

- 01 मारुति अर्टिगा कार (सफेद रंग, नंबर- DL1ZD2840)
- 01 वैगनआर कार (सफेद रंग, नंबर- UP17V 1113)
- 22 मोबाइल फोन (आईफोन 14 प्रो व अन्य एंड्रॉइड/कीपैड फोन)
- 36 सिम कार्ड (विविध कंपनियां)
- 03 लैपटॉप
- 07 बैंक पासबुक (कैनरा, यूको, प्रथमा यूपी ग्रामीण, इंडियन बैंक, एसबीआई आदि)
- 10 एटीएम/डेबिट कार्ड (विभिन्न बैंकों के)
- 09 चेक बुक
- 04 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस
- 08 स्टैम्प मोहर
- फर्जी लोन विज्ञापन पैम्फलेट के 05 बंडल (लगभग 15,000 पैम्फलेट)
- 20,200 रुपये नगद कैश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा (साइबर सेल, जनपद बागपत)
2. उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय (साइबर सेल, जनपद बागपत)
3. उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल (साइबर सेल, जनपद बागपत)
4. उ0नि0 श्री दिग्विजय राजपूत (साइबर सेल, जनपद बागपत)
5. उ0नि0 श्री बिरजू शर्मा (साइबर सेल, जनपद बागपत)
6. है0का0 85 रवि शंकर ग्वाला (साइबर सेल, जनपद बागपत)
7. है0का0 866 रवि यादव(साइबर सेल, जनपद बागपत)
8. है0का 72 विपिन भाटी(साइबर सेल, जनपद बागपत)
9. का0 963 प्रभात यादव (साइबर सेल, जनपद बागपत)
10. का0 478 अजीत कुमार (साइबर सेल, जनपद बागपत)
11. का0 867 अमरेश कुमार (साइबर सेल, जनपद बागपत)
12. का0 913 शंकर बघेल(साइबर सेल, जनपद बागपत)
13. म0कां0 356 कुन्ती (साइबर सेल, जनपद बागपत)